# HRCI en USIUN The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874] No. 874] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

## कम्पनी कार्य मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2006

का.आ. 1274(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा । की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 जुलाई, 2007 (को वह तारीख जिसको नई परिषद् द्वारा भार ग्रहण करने की संभावना है) उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 प्रवृत होगी ।

[फा. सं. 5/27/2006-सी. एल-V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2006

S.O. 1274 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section I of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, the Central Government hereby appoints 22nd July, 2007 (the date on which the next council is likely to take charge) as the date on which Section II of the said Act, shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-C. L-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.